तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-6-18	वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया जाता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 20-8-18 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	सम्मन जारी 2302-06 28-6-18
07-08-18	वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र वास्ते तलब करने मिसल प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने जरिए अधिवक्ता प्रा.पत्र वास्ते नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने तथा वाद विड्रो किये जाने का प्रस्तुत किया। वादी ने कथन किए कि वाद में कानूनी कमी रह जाने की वजह से वादी उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा नया वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को विड्रो करवाना चाहता है। उपस्थित वादी को प्रा. पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। वाद समझने, नया वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद विड्रो किये जाने की सहमति ज़ाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त आशय के हस्ताक्षर वादी से करवाए गए जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता ने अंकित की। प्रा.पत्र बाद अवलोकन लोक अदालत की भावना से प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा नया वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद विड्रो की अनुमति दी जाती है एवं वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,ब्यावर	ह. [illegible] पहचान कर्ता [signature]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official